ALL INDIA FORUM AGAINST PRIVATISATION (AIFAP)

AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL!

Website: https://aifap.org.in
Email: contact@aifap.org.in
WhatsApp Number: +918454018757

महाराष्ट्र के एसटी कार्यकर्ताओं के न्यायसंगत संघर्ष का समर्थन करें!

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम का वक्तव्य (एआईएफएपी), नवंबर 2021

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (एआईएफएपी) महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों का समर्थन करता है जो 3 नवंबर 2021 से हड़ताल पर हैं। वे सबसे कठिन परिस्थिति में हैं और पूरे राज्य में 256 डिपो में रह रहे हैं। वे लोगों को समझा रहे हैं कि उन्हें हड़ताल पर क्यों जाना पड़ा है। राज्य सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि जब तक राज्य सरकार में विलय की उनकी मांग नहीं मानी जाती, वे पीछे नहीं हटेंगे।

राज्य परिवहन (एसटी) के करीब एक लाख कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। एसटी कार्यकर्ता पूरे राज्य की सेवा करते हैं, यहां तक कि दूर-दराज के गांवों में भी। उन्हें खराब रखरखाव वाली बसों को घंटों खराब सड़कों पर चलाना पड़ता है। उनके वेतन में देरी होती रहती है, कभी-कभी तो चार महीने तक भी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मिलना तो दूर, इन कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को भी ठीक से लागू नहीं किया गया है! सेवा में शामिल होने पर, एक ड्राइवर / कंडक्टर को मूल वेतन के रूप में प्रति माह 12,000 रुपये मिलते हैं और सभी परिलब्धियों के साथ, उसे 15,000 रुपये मिलते हैं। हर साल उनके मूल वेतन में मात्र 2% की वृद्धि की जाती है। जीवन यापन की लागत में भारी वृद्धि के इन दिनों में, कोई भी श्रमिक इतनी कम मजदूरी से परिवार कैसे चला सकता है? इसके अलावा, उनके लिए कोई आवधिक वेतन संशोधन या समझौता नहीं किया गया है। यही वजह है कि इसी साल पूरे महाराष्ट्र राज्य में 40 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर ने आत्महत्या कर ली है। इन अत्याचारी कामकाजी परिस्थितियों का विरोध करने के लिए ही एसटी कार्यकर्ता हड़ताल पर गए हैं।

राज्य परिवहन चलाने वाले एसटी महामंडल का दावा है कि वह घाटे में है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम महाराष्ट्र के दूर-दराज के गांवों और कस्बों में

उन यात्रियों को बस सेवा प्रदान करता है जो अधिक आरामदायक परिवहन का खर्च वहन नहीं कर सकते। इसलिए यात्रियों द्वारा एसटी बस को प्यार से लाल परी (लाल परी) कहा जाता है। यह विभिन्न रियायतें प्रदान करता है जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% टिकट किराया, अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों को रियायतें, आदि। ये सामाजिक दायित्व हैं जो निगम द्वारा पूरे किए जाते हैं। इनकी लागत महाराष्ट्र सरकार को वहन करनी होगी और इसका उपयोग राज्य परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों को खराब वेतन के भुगतान को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि निगम का विलय राज्य सरकार में किया जाए।

साथ ही पिछले 30 वर्षों में महाराष्ट्र की सरकारें निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित कर रही हैं, जो मुंबई पुणे, मुंबई नासिक आदि जैसे व्यस्त मार्गों पर चलते हैं। इससे राज्य सड़क परिवहन निगम के घाटे में भी वृद्धि हुई है। जब से 1991 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति शुरू की गई थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली या भाजपा के नेतृत्व वाली सभी सरकारों ने इस विचार को बढ़ावा दिया है कि लाभ कमाने के लिए सभी सार्वजनिक सेवाओं को निजी कॉरपोरेट्स को सौंप दिया जाना चाहिए। सरकार का दावा है कि उसके पास सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बिजली, सड़क आदि पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर टैक्स का सारा पैसा कहाँ जाता है? सरकारों द्वारा एकत्र किए गए करों का लगभग 75% आम लोगों से आता है क्योंकि वे बाजार में खरीदी जाने वाली प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु पर कर का भुगतान करते हैं, चाहे माचिस, कपड़े, घरेलू सामान, आदि।

सरकार को इन करों को लगाने का अधिकार केवल इसलिए है क्योंकि लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, परिवहन, बिजली आदि उपलब्ध कराकर लोक कल्याण सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है। परन्तु, सरकार करों से जो पैसा कमाती है, उसका बड़ा हिस्सा फिजूलखर्ची और निजी कॉरपोरेट को अमीर बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर खर्च किया जाता है। उदाहरण के लिए, इन कॉरपोरेट्स ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर चूक की है। चूककर्ता कारपोरेट मालिकों को जेल में डालने और चूक की रकम चुकाने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त करने के बजाय, सरकार आम

लोगों से कर के पैसे का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नुकसान को कवर करती है!

आज केंद्र सरकार इस विचार को आगे बढ़ा रही है कि "सरकार के पास व्यवसाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है ", जिसका अर्थ है कि सरकारों को सभी सार्वजनिक सेवाओं से बाहर निकलना चाहिए, चाहे वह रेलवे, सड़क परिवहन, बिजली, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हो, और उनका निजीकरण किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें लाभ कमाने के लिए निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। एक कदम और आगे बढ़ाया जारहा है और कहा जारहा है कि लोगों से एकत्र किए गए करों के साथ बनाई गई सार्वजनिक संपत्ति को "मुद्रीकरण" शब्द का उपयोग करते हुए 30 से 60 वर्षों की अवधि के लिए निजी कॉरपोरेट्स को सौंप दिया जाना चाहिए और ये कॉरपोरेट इन परिसंपत्तियों का उपयोग सुपर मुनाफा कमाने के लिए कर सकते हैं।

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम का गठन 4 जुलाई 2021 को निजीकरण, निगमीकरण और लोगों की संपत्ति के मुद्रीकरण की नीति का विरोध करने के लिए किया गया था। हम सभी को एक होना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि सरकार सभी मेहनतकश लोगों - मजदूरों, किसानों, शिक्षकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यापारियों आदि की जरूरतों को पूरा करे, जिनके काम से हमारा देश चलता है।

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम महाराष्ट्र के राज्य परिवहन कर्मचारियों की उचित मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता है और महाराष्ट्र सरकार से उनकी मांगों को तुरंत पूरा करने का आह्वान करता है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के लोगों को सस्ती दरों पर आवश्यक बस सेवाएं प्रदान करना जारी रखने का आह्वान करता है।